"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 अगस्त 2011— श्रावण 14, शक 1933

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती अर्पिता सोनी पति श्री पुनीत सोनी, आयु - 33 वर्ष, निवासी-पुरानी बस्ती, रायपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि मैं पूर्व में श्रीमती हेमलता सोनी पति श्री पुनीत सोनी के नाम से जानी-पहचानी जाती थी जो कि मेरे समस्त शासकीय अभिलेखों एवं अन्य दस्तावेजों में अंकित है, जिसे परिवर्तित कर मैं अपना नाम श्रीमती अर्पिता सोनी पति श्री पुनीत सोनी रख ली हूं तथा इस इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती अर्पिता सोनी पति श्री पुनीत सोनी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
श्रीमती हेमलता सोनी पति-श्री पुनीत सोनी निवासी-पुरानी बस्ती, रायपुर तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)	श्रीमती अर्पिता सोनी पति-श्री पुनीत सोनी निवासी-पुरानी बस्ती, रायपुर तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रथम अग्रवाल माता श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल, उम्र-25 वर्ष, निवासी-म. नं. 32/149, श्याम नगर, एस. के. साइकल इण्डस्ट्रीज के पास, कपूर होटल, रायपुर (छ. ग.) पिन-492001 का हूं. यह कि मैं अपने पूर्व नाम प्रथम वधावन जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों, बैंक खातों, पेन कार्ड आदि में दर्ज है, को परिवर्तित कर मैं अपना नाम प्रथम अग्रवाल माता श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब से मुझे प्रथम अग्रवाल माता श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम

प्रथम वधावन
निवासी-म. नं. 32/149
एस. के. साइकल इण्डस्ट्रीज के पास
कपूर होटल, श्याम नगर
रायपुर (छ. ग.)
492001

नया नाम

प्रथम अग्रवाल
निवासी-म. नं. 32/149
एस. के. साइकल इण्डस्ट्रीज के पास
कपूर होटल, श्याम नगर
रायपुर (छ. ग.)
492001

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हर्षद कुमार जैन पिता श्री संतोष कुमार जैन, आयु-33, निवासी-बेरला, वार्ड नं.-5, पोस्ट-बेरला, तह. व थाना-बेरला, जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पासपोर्ट में मेरा उपनाम हर्षद्र कुमार लोढ़ा पिता संतोष कुमार अंकित है, को परिवर्तित कर मैं अपना उपनाम हर्षद कुमार जैन पिता संतोष कुमार जैन रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब से मुझे हर्षद कुमार जैन पिता श्री संतोष कुमार जैन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम

हर्षद कुमार लोढ़ा
पिता-संतोष कुमार
निवासी-बेरला, वार्ड क्र.-5
पोस्ट-बेरला, तह. व थाना-बेरला
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

हर्षद कुमार जै
पिता-संतोष कुमा जैन
निवासी-बेरला वा क्र -5
पोस्ट-बेरला, तह व [illegible]-बेरला
जिला-दुर्ग [illegible])

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2011

प्रकरण क्र. ब /113 (1) वर्ष 2010-11

क्रमांक /455/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2011.— आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री संजय चौधरी, निवासी- सी-86-87/1, देवेन्द्र नगर, रायपुर ने परम तारक शीतल नाथ जिनालय एवं दादाबाड़ी ट्रस्ट, देवेन्द्र नगर, रायपुर के नाम से छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4(1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 19-08-2011 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	परम तारक शीतल नाथ जिनालय एवं दादाबाड़ी ट्रस्ट, देवेन्द्र नगर, रायपुर
2.	चल संपत्ति	:	1,05,000/- रुपये नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 07-07-2011 को जारी.

तारन प्रकाश सिन्हा,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 जुलाई 2011

छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/उपजां/परि./08/506.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./903 दिनांक 10-11-2010 के द्वारा जय दुर्गा मछुवा सहकारी समिति मर्या.. सांकर. जिला-जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 134 दिनांक 2-11-92 है को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री आर. के. कौशिक पद स. वि. अ., अकलतरा को संस्था का परिसमापक नियुक्ति किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, बी. के. ठाकुर, प्र. उप पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, जांजगीर छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग./ म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/1/5/6/19/एफ-15 दिनांक 27-8-79 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था के निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 12-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 जुलाई 2011

छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/उपजां/परि./08/507.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./903 दिनांक 10-11-2010 के द्वारा सी. सी. आई. कर्म. प्राथ. सह. उपभोक्ता भंडार मर्या. अकलतरा जिला जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 149 दिनांक .... है को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री आर. के. कौशिक पद स. वि. अ., अकलतरा को संस्था का परिसमापक नियुक्ति किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, बी. के. ठाकुर, प्र. उप पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, जांजगीर छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग./ म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/1/5/6/19/एफ-15 दिनांक 27-8-79 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था के निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 12-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 जुलाई 2011

छ. म. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/उपजां/परि./08/508.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./903 दिनांक 10-11-2010 के द्वारा केंवट महुवा सहकारी समिति मर्या., सेगडा, जिला जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 258 दिनांक 28-08-2000 है, को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के अतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री आर. के. कौशिक पद स. वि. अ., अकलतरा को संस्था का परिसमापक नियुक्ति किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, बी. के. ठाकुर, प्र. उप पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, जांजगीर छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग./ म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/1/5/6/19/एफ-15 दिनांक 27-8-79 के अतर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था के निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 12-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. के. ठाकुर,
प्र. उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2011.